



भाषाई अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए मतदान सुरक्षा मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 203

हमारे विविध देश में, अंग्रेज़ी कई अमेरिकी नागरिकों की प्राथमिक भाषा नहीं है, और कई लोगों की अंग्रेज़ी पढ़ने, बोलने, लिखने या समझने की क्षमता सीमित है। अंग्रेज़ी में सीमित दक्षता वाले नागरिकों को जागरूक मतदाता बनने और हमारे लोकतंत्र में प्रभावी ढंग से भागीदार होने के लिए अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में जानकारी की ज़रूरत होती है। मतदान अधिकार अधिनियम (Voting Rights Act, VRA) की धारा 203 इनमें से कई अमेरिकियों के मतदान अधिकारों की रक्षा करती है।

मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 203¹

धारा 203 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को मतदान करने के लिए पंजीकरण करने, चुनावों का ब्यौरा जानने और सोच-समझकर मतदान करने का प्रभावी अवसर मिले।

1975 में कांग्रेस ने धारा 203 को शामिल करने के लिए VRA में संशोधन किया था क्योंकि उन्होंने पाया कि हिस्पैनिक, एशियाई अमेरिकी, मूल अमेरिकी और अलास्का के मूल निवासी नागरिकों (“भाषाई अल्पसंख्यक”) को “चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी से प्रभावी रूप से बाहर रखा गया था।” उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, कांग्रेस ने कहा था, “इस तरह के भेदभाव को खत्म करना ज़रूरी है।”

धारा 203 में कौन से भाषा समुदाय शामिल हैं?

धारा 203 “भाषाई अल्पसंख्यकों” के नागरिकों की रक्षा करती है: हिस्पैनिक, एशियाई अमेरिकी, मूल अमेरिकी और अलास्का के मूल निवासी।

अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में सामग्री और सहायता किसे प्रदान करनी चाहिए?

हर पाँच साल बाद, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो उन अधिकार-क्षेत्रों (उदाहरण के लिए, काउंटी और शहर) की सूची जारी करता है जिन्हें अंग्रेज़ी के अलावा एक या अधिक अन्य भाषाओं में चुनाव-संबंधी सामग्री और सहायता प्रदान करनी

¹ यह गाइड मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 203 के तहत भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यह गाइड कानूनी दायित्व लागू नहीं करती और इसका उद्देश्य व्यापक होना नहीं है।



अमेरिकी न्याय विभाग

चाहिए। जनगणना ब्यूरो इस सूची को तैयार करने के लिए धारा 203 में एक फ़ार्मूला लागू करता है। कुछ जगहों पर, दो या अधिक भाषाई अल्पसंख्यक समूह धारा 203 की शर्तों को लागू करने के लिए पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। दिसंबर 2021 में जारी की गई, कवर किए गए अधिकार-क्षेत्रों की नवीनतम सूची, www.justice.gov/crt/about-language-minority-voting-rights पर उपलब्ध है।

किसी अधिकार-क्षेत्र को कैसे पता चलता है कि वह धारा 203 के अधीन है?

जनगणना ब्यूरो के निर्धारण के बाद, अमेरिकी न्याय विभाग (“विभाग”) अधिकार-क्षेत्रों को सूचित करता है कि वे धारा 203 के अधीन हैं।

धारा 203 में कवर किए गए अधिकार-क्षेत्रों को क्या करने की आवश्यकता है?

जो अधिकार-क्षेत्र अंग्रेज़ी में चुनाव-संबंधी सामग्री और मौखिक भाषा-संबंधी सहायता प्रदान करते हैं, उनके लिए अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में भी वह सामग्री और सहायता प्रदान करना ज़रूरी है ताकि नागरिक चुनाव में प्रभावी ढंग से हिस्सा ले सकें। धारा 203 की शर्तें मतदान प्रक्रिया के सभी चरणों पर लागू होती हैं, जिनमें मतदान के लिए पंजीकरण करने से लेकर चुनाव कराना और मतदान करना शामिल हैं।

कौन से चुनाव धारा 203 के अधीन हैं?

धारा 203 की शर्तें, आम, प्राथमिक और विशेष चुनावों सहित, किसी कवर किए गए अधिकार-क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार के संघीय, राज्य या स्थानीय चुनाव पर लागू होती हैं।

सटीक अनुवाद और प्रभावी ढंग से वितरित की गई द्विभाषी चुनाव सामग्री

किस चुनाव-संबंधी सामग्री का अनुवाद किया जाना चाहिए?

जब कवर किए गए अधिकार-क्षेत्र कोई पंजीकरण या मतदान से जुड़े नोटिस, फ़ॉर्म, निर्देश, सहायता, मतपत्र, या मतदान प्रक्रिया या चुनाव के बारे में अन्य सामग्री अथवा जानकारी प्रदान करते हैं, तो उन्हें अंग्रेज़ी और आवश्यक अल्पसंख्यक भाषा में वह सामग्री प्रदान करनी होगी।

कवर किए गए अधिकार-क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंग्रेज़ी के अलावा आवश्यक भाषा में लिखित जानकारी और सामग्री स्पष्ट, पूर्ण है और उसका सटीक अनुवाद किया गया है।



अनुवाद सटीक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। स्थानीय अधिकारियों को अनुवादित सामग्री की सटीकता और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किसी भी खास फ़र्क, जैसे बोली में महत्वपूर्ण अंतर, के संबंध में कवर किए गए भाषाई अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों से परामर्श करना चाहिए।

ऐतिहासिक रूप से अलिखित भाषाओं के लिए, अधिकार-क्षेत्रों को यह निर्धारित करने के लिए भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के साथ काम करना चाहिए कि योग्य मतदाताओं तक चुनाव से जुड़ी जानकारी सबसे अच्छे तरीके से कैसे पहुँचाई जाए।

द्विभाषी चुनाव कर्मी और मतदान कार्यकर्ता

धारा 203 के तहत भाषाई अल्पसंख्यक मतदाताओं को मौखिक भाषा-संबंधी सहायता कैसे प्रदान की जाती है?

धारा 203 के अधीन कवर किए गए अधिकार-क्षेत्रों को मौखिक सहायता प्रदान करनी होगी ताकि भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाता मतदान प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से हिस्सा ले सकें।

वे ऐसा आम तौर पर उन मतदान स्थलों पर द्विभाषी मतदान कार्यकर्ताओं को नियुक्त करके करते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। यह ज़रूरी है कि मतदान कार्यकर्ताओं को VRA की भाषा सहायता आवश्यकताओं में प्रशिक्षित किया जाए।

किसी मतदान स्थल पर आवश्यक द्विभाषी मतदान कार्यकर्ताओं की संख्या निर्धारित करने के लिए, कवर किए गए अधिकार-क्षेत्रों को इस प्रकार की जानकारी पर विचार करना चाहिए जैसे किसी सीमित क्षेत्र के भीतर कवर किए गए भाषाई अल्पसंख्यक समूह के पंजीकृत मतदाताओं की संख्या और अंग्रेज़ी में उनकी दक्षता।

समुदाय तक पहुँच से स्थानीय चुनाव अधिकारियों को द्विभाषी मतदान अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पहचानने और भर्ती करने में मदद मिल सकती है।

सामुदायिक भागीदारी और पहुँच

द्विभाषी चुनाव कार्यक्रम के विकास में चुनाव अधिकारी समुदाय के सदस्यों और अन्य हितधारकों को कैसे शामिल कर सकते हैं?

भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य और अन्य समर्थक तथा हितधारक एक प्रभावी द्विभाषी चुनाव कार्यक्रम को



अमेरिकी न्याय विभाग

विकसित करने और उसे कायम रखने में मदद कर सकते हैं।

कानूनी आवश्यकताओं और भाषाई समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने वाले प्रभावी कार्यक्रम को लागू करने के लिए, स्थानीय चुनाव अधिकारियों को भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय और उस समुदाय के साथ काम करने वाले संगठनों में अलग-अलग संपर्कों से विचार-विमर्श करना चाहिए।

चुनाव अधिकारियों को चुनाव-संबंधी जानकारी का प्रचार, द्विभाषी कार्यकर्ताओं की भर्ती और मतदाताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के सबसे अच्छे तरीके जानने के लिए अपने भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों से भी परामर्श करना चाहिए। इस प्रचार में अल्पसंख्यक भाषा मीडिया, जहाँ उपलब्ध हो, का उपयोग और चुनाव से जुड़ी वेबसाइटों पर सटीक अनुवादित सामग्री शामिल होनी चाहिए।

समुदाय के सदस्य द्विभाषी चुनाव कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकते हैं?

समुदाय के सदस्य सुझाव देने और अल्पसंख्यक भाषा के चुनाव कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, स्थानीय चुनाव अधिकारियों के साथ-साथ शहर और काउंटी के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। समुदाय के द्विभाषी सदस्य भी मतदान कार्यकर्ताओं के रूप में स्वेच्छा से सेवा प्रदान कर सकते हैं, अनुवादित सामग्री पर फ़ीडबैक दे सकते हैं या अंग्रेज़ी में सीमित दक्षता वाले मतदाताओं की भाषा-संबंधी ज़रूरतों को पहचानने में सहायता कर सकते हैं।

समुदाय के सदस्यों को स्थानीय चुनाव अधिकारियों को धारा 203 के उल्लंघन की किसी भी समस्या की रिपोर्ट करनी चाहिए और, यदि वे अधिकारी समस्याओं का उचित समाधान नहीं करते, तो 1-(800) 253-3931 या www.civilrights.justice.gov पर विभाग को सूचित करना चाहिए।

अमेरिकी न्याय विभाग की भूमिका

यह सुनिश्चित करने में विभाग की क्या भूमिका है कि कवर किए गए अधिकार-क्षेत्र अंग्रेज़ी में सीमित दक्षता वाले मतदाताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं?

सूचित करना विभाग अधिकार-क्षेत्रों को सूचित करता है कि वे धारा 203 के अधीन हैं और समुदायों को कानून और भाषा-संबंधी सहायता आवश्यकताओं के बारे में बताता है।

सहायता करना विभाग अधिकार-क्षेत्रों को एक सफल भाषा-संबंधी सहायता कार्यक्रम को विकसित और लागू करने के बारे में जानकारी प्रदान करता है और भाषा-संबंधी सहायता आवश्यकताओं के अनुपालन से जुड़े सवालियों के जवाब देता



है।

विभाग स्थानीय चुनाव अधिकारियों को धारा 203 का अनुपालन करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इन दिशा-निर्देशों का शीर्षक है "भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के संबंध में मतदान अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन।" 28 C.F.R. भाग 55 (www.justice.gov/crt/page/file/927236/dl?inline)।

लागू करना विभाग धारा 203 के कथित उल्लंघनों की जाँच करता है और उल्लंघनों को रोकने के लिए उचित प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

और जानना तथा अमेरिकी न्याय विभाग से संपर्क करना

मुझे धारा 203 के बारे में अधिक जानकारी कहाँ मिल सकती है?

आप www.justice.gov/crt/about-language-minority-voting-rights पर धारा 203 के बारे में जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उसका पूरा पाठ, कवर किए गए अधिकार-क्षेत्रों की सूची और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के अल्पसंख्यक भाषा दिशा-निर्देश शामिल हैं।

मैं धारा 203 के बारे में विभाग से कैसे संपर्क करूँ?

आप 1-(800) 253-3931 पर कॉल करके या www.civilrights.justice.gov पर एक फ़ॉर्म भरकर विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के मतदान अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।

U. S. Department of Justice
Civil Rights Division

[Justice.gov/voting](https://www.justice.gov/voting)

Hindi